

Notes by Akhilesh Kumar

J K college Biraul Darbhanga

YouTube : A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

**FOR-LNMU -B.com part - 3Rd Paper-vii – Taxation Theory
and Practice**

Unit- 2 Residential status *Revision*



Easy to Understand the concept

Residential Status Income Tax

करदाता की निवासी स्थिति का निर्धारण

आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के निवासी स्थिति गत वर्ष में उसके भारत में रहने पर निर्भर करती है नागरिकता एवं निवासी स्थिति दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं संभव है कि एक भारतीय नागरिक आयकर हेतु अनिवासी हो और उसे आयकर देने की आवश्यकता में हो इसी प्रकार एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है कर नियोजन हेतु निवासी हो और उसे आयकर देना पड़े आयकर के निर्धारण हेतु किसी व्यक्ति की निवासी स्थिति व अधिक वर्ष बदल सकती है परंतु नागरिकता नहीं.

आयकर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार निवासी स्थिति के दृष्टिकोण से **करदाता** को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है

1. भारत में निवासी और साधारण निवासी
2. भारत में असाधारण निवासी
3. अनिवासी

आयकर अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के करदाताओं जैसे व्यक्ति, स्वयं, हिंदू अविभाजित परिवार ,व्यक्तियों का समुदाय , कंपनी आदि के निवासी स्थिति के निर्धारण के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं जो निम्नलिखित प्रकार हैं

1. आधारभूत शर्तें

- ✓ वह गत वर्ष में कुल 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो
- ✓ मैं गत वर्ष में कुल 7 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो एवं गत वर्ष पूर्व के 4 वर्ष में 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो

अपवाद(Exceptions):

- निम्नलिखित स्थितियों में उपरोक्त आधारभूत शर्तें (2) में 60 दिन के स्थान पर करदाता क्या भारत में गत वर्ष में 180 दिन रुके रहना आवश्यक होगा
 - ऐसे भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं
 - ऐसे भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में किसी भारतीय जहाज के बेड़े के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत छोड़कर जाते हैं
 - ऐसे भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है एवं गत वर्ष में भारत में भ्रमण के लिए आता है
- ✓ **अतिरिक्त शर्तें**
- ✓ वह गत वर्ष में पूर्व के 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा हो और

✓ गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो

- **भारतीय मूल के व्यक्ति से आशय** - किसी व्यक्ति को भारतीय मूल का समझा जाएगा यदि उसका स्वयं का माता पिता का दादा-दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म भी अविभाजित भारत में हुआ हो अविभाजित भारत से आशय - अविभाजित भारत से आशय उस समय के भारत से हैं जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था

दिनों की गणना के संबंध में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

1. यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति भारत में लगातार रहे वह बीच-बीच में विदेश जा सकता है उसे वर्ष भर में कुल मिलाकर वंचित दिनों के लिए भारत में रहना है
2. भारत में एक ही स्थान पर रहना या करना आवश्यक नहीं रहने से आशय भारत की किसी भी स्थान पर रहने से है
3. यदि भारत में आने और भारत छोड़ने वाले दिनों का स्पष्ट समय ज्ञात नहीं हो तो भारत में रहने के दिनों की गणना करने के लिए भारत में आने तथा भारत से जाने वाले दोनों दिन शामिल होंगे

उपरोक्त शर्तों के आधार पर एक व्यक्ति की निवासी स्थिति निम्नलिखित प्रकार निर्धारित की जा सकती है

- **साधारण निवासी व्यक्ति** - यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक शर्त पूरी करें तथा साथ ही

दोनों अतिरिक्त सकते भी पूरी करें तो वह संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु साधारण निवासी माना जाएगा

- **असाधारण निवासी व्यक्ति** - यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त वर्णित आधारभूत शब्दों में से कम से कम एक शर्त पूरी करें तथा अतिरिक्त संतों में से कोई एक अथवा एक विस्तृत पूरी नहीं करें तो वह संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर निर्धारण हेतु असाधारण निवासी माना जाएगा
- **अनिवासी व्यक्ति** - यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में से कोई एक भी सर पूरी नहीं करें तो वह संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आए कर हेतु अनिवासी समझा जाएगा इस स्थिति में यह महत्वहीन होगा कि वह अतिरिक्त शर्तें पूरी कर रहा है अथवा नहीं

नोट - करदाता किसी भी गत वर्ष में अपने को असाधारण निवासी अथवा अनिवासी मानता है तो यह सिद्ध करने का भार स्वयं कर दाता का होगा

हिंदू अविभाजित परिवार (H.U.F) यह तो निवासी स्थिति का निर्धारण धारा 6(2) हिंदू अविभाजित परिवार की भांति निवासी की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं

- **साधारण निवासी परिवार** - एक हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में भारत में साधारण निवासी माना जाएगा यदि

1. परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित होता तथा
 2. परिवार का कर्ता व्यक्ति के लिए निर्धारित अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी करता हूँ अर्थात् वह गत वर्ष के पूर्व से 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष निवासी एवं 7 वर्ष में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो
- **असाधारण निवासी परिवार** - एक हिंदू अविभाजित परिवार भारत में असाधारण निवासी माना जाएगा यदि

1. परिवार के संपूर्ण या आंशिक नियंत्रण भारत में हो तथा
 2. भारत का करता निम्नलिखित दो अतिरिक्त शब्दों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है या केवल एक अतिरिक्त सर कोई करता हो
 1. वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी रहा हो अथवा
 2. गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो
- **अनिवासी परिवार** - यदि किसी हिंदू अविभाजित परिवार का नियंत्रण संपूर्ण रूप से भारत के बाहर अर्थात् विदेश में हो तो वह अनिवासी कहलाएगा

✓ फर्म या व्यक्तियों के समुदाय की निवासी स्थिति का निर्धारण धारा 6 आयकर हेतु निवासी स्थिति के दृष्टिकोण से फर्म दो प्रकार की होती हैं

- **निवासी फर्म** - कोई फर्म या व्यक्तियों का समुदाय गत वर्ष में भारत में निवासी माना जाएगा यदि उसका नियंत्रण संपूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो
- **अनिवासी फर्म** - कोई फर्म या व्यक्तियों का समुदाय गत वर्ष में भारत में अनिवासी माना जाएगा यदि उसका प्रबंध या नियंत्रण भारत के बाहर स्थित हो

नोट - प्रबंध एवं नियंत्रण उस स्थान से मान जाता है जिस स्थान पर व्यापार चलाने की नीति बनाई जाती है एवं व्यापार के संचालन से संबंधित निर्देश दिए जाते हैं

कंपनी की निवासी स्थिति का निर्धारण धारा 6(3)

आय कर हेतु निवासियों स्थिति के दृष्टिकोण से कंपनी दो प्रकार की होती है

- **निवासी कंपनी** - यदि एक कंपनी भारतीय कंपनी है अथवा उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित है तो वह निवासी मानी जाएगी इसका अर्थ हुआ कि

1. भारत में सम्मिलित प्रत्येक कंपनी निवासी मानी जाएगी

2. भारत के बाहर सामान विदेशी कंपनी भारत में निवासी तभी मानी जाएगी जबकि उसका संपूर्ण प्रबंध एवं नियंत्रण भारत से होता है

- **अनिवासी कंपनी** - ऐसी कंपनी अनिवासी मानी जाएगी जो भारतीय कंपनी नहीं है तथा उसका संपूर्ण प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में नहीं है इस प्रकार व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार साधारण निवासी असाधारण निवासी एवं अनिवासी होते हैं केवल व्यक्तियों के समुदाय एवं कंपनी केवल निवासी या अनिवासी होती है

नोट : एक कंपनी का प्रबंध एवं नियंत्रण उस स्थान पर हुआ माना जाता है जहां उसके संचालक मंडल की मीटिंग होती है

अन्य व्यक्ति की निवासी स्थिति का निर्धारण धारा 6(4)

अन्य व्यक्ति भारत में निवासी तभी माने जाएंगे जब उनका प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित हो यदि उनका प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित है तो वह अनिवासी माने जाएंगे

नोट - यदि कोई व्यक्ति एक स्रोत के लिए भारत में निवासी है तो वह अन्य सभी स्रोतों के लिए भारत में निवासी ही माना जाएगा

निवासी स्थिति के आधार पर करदाता की कुल आय का क्षेत्र अथवा कर भाग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार करदाता पर कर भार उसके निवासी स्थिति एवं इस बात पर निर्भर करता है कि आए

कहां तथा कब अर्जित अथवा प्राप्त हुई है इस संबंध में निम्नलिखित नियम उल्लेखनीय हैं

- **निवासी करदाता की कुल आय का क्षेत्र** - एक निवासी करदाता की कुल आय में निम्नलिखित में शामिल की जाती हैं चाहे वह किसी भी साधन से प्राप्त की गई हो
 1. गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई मानी गई समस्त आय
 2. गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित उदय मानी गई आय
 3. गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई समस्त आय

- **असाधारण निवासी करदाता की कुल आय का क्षेत्र** - एक असाधारण निवासी की कुल आय में निम्नलिखित आय का सम्मिलित किया जाता है
 1. गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई मानी गई समस्त आय
 2. गत वर्ष में करदाता को भारत में उपस्थित या उदय हुई अथवा उपार्जित उदय मानी गई समस्त आय
 3. भारत के बाहर प्राप्त हुई या ऊपर जीत हुई किसी ऐसे व्यापार किया है जिसका नियंत्रण भारत से होता हो अथवा किसी ऐसे पैसे की आए जिसकी स्थापना भारत में हुई हो

- **अनिवासी करदाता की कुल आय का क्षेत्र** - एक अनिवासी करदाता की कुल आय में निम्नलिखित आय को सम्मिलित किया जाता है
 1. गत वर्ष में करदाता द्वारा आया उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई मानी गई समस्त आय
 2. गत वर्ष में कर दादा को भारत में उपार्जित उदय हुई अथवा उपार्जित उदय मानी गई समस्त आय
 3. नोट - यदि कोई आय बिना कर लगी है जो कि गत वर्ष से पूर्व की हो तथा भारत के बाहर कमाई गई हो यदि गत वर्ष में भारत में लाई जाती है तो उस आय को गत वर्ष की कर योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह आय का हस्तांतरण है ना कि आए कर भार से संबंधित

✓ **आयकर के नियम एक दृष्टि में:**

1. भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आयों पर सभी करदाताओं को कर देना पड़ता है
2. भारत में उपार्जित अथवा उपार्जित समझी जाने वाली आयों पर सभी करदाताओं को कर देना पड़ता है

3. भारत के बाहर उपस्थित एवं प्राप्त होने वाली भारत के बाहर नियंत्रित भारत से तथा भारत के बाहर स्थापित पैसे से आयोग पर केवल निवासी करदाताओं को ही कर देना पड़ता है
4. निवासी करदाताओं को गत वर्ष से संबंधित सभी प्रकार की देशी एवं विदेशी आयों पर कर देना पड़ता है चाहे वह आय कहीं भी उपार्जित या प्राप्त हुई हो
5. असाधारण निवासी को भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त व्यापारिक आय पर तभी कर देना पड़ता है जब व्यापार का नियंत्रण भारत से होता हो अथवा विदेश में हुई आए ऐसी पेशे से हो जिसकी स्थापना भारत में हुई हो
6. अनिवासी को केवल भारत में प्राप्त किया भारत में उपार्जित आयों पर ही कर देना पड़ता है शेष आयोग पर कर नहीं देना पड़ता है